सराहनीय कार्य परिक्षेत्र अलीगढ़

थाना जसरथपुर पुलिस तथा जनपदीय स्वाट व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्या की घटना का सफल अनावरण कर महिला सहित दो आरोपी 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार।*

घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 05/07/2024 को वादिया श्रीमती सुषुमा देवी पत्नी स्व0 उदयवीर सिंह निवासी ग्राम महाराजपुर थाना जसरथपुर जनपद एटा द्वारा थाना जसथपुर पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि वादिया का पुत्र पंकज जो दिनांक 01.07.2024 से लापता है तथा जिसकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज है, उसकी हत्या सत्यप्रकाश के रिश्तेदार राजीव व राजकुमारी आदि ने कर दी है। इस सूचना पर थाना जसरथपुर पर मुअसं- 73/2024 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस बनाम राजीव आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 05.07.2024 को थाना जसरथपुर पुलिस तथा जनपदीय स्वाट तथा सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही में मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे नामित अभियुक्त अनीश को अलीगंज सरौठ रोड़ कांशीराम कालोनी के पास से समय करीब 22.05 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त अनीश की निशानदेही पर मृतक पंकज के शव को अलीगंज सरौठ रोड ईदगाह के पास से बरामद किया गया है तथा दिनांक 05.07.2024 को ही मुकदमा उपरोक्त की नामित अभियुक्ता राजकुमारी को समय करीब 06.50 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

1. मृतक पंकज के अभियुक्ता के साथ मधुर संबंध थे।

2. मृतक व अभियुक्ता का घर आमने सामने है। उनके मधुर संबंधों की जानकारी आसपास के व्यक्तियों को भी थी।

3. दोनों के मधुर संबंधों की बात से अभियुक्ता के ननदोई राजीव व उसके परिजन नाराज थे।

4. राजीव ने पूर्व में कई बार दोनों को समझाया था। लेकिन पंकज नहीं माना और चोरी छिपे राजकुमारी से मिलता रहा।

5. जब राजकुमारी के नन्दोई राजीव ने राजकुमारी पर ज्यादा दबाव बनाया तो राजकुमारी ने पंकज को रास्ते से हटाने का फैसला किया।

6. दिनांक 01.07.24 को राजकुमारी, राजीव व राजीव के लड़के विनय तथा अनीश ने योजनानुसार पहले तो राजकुमारी ने पंकज को फोन करके राजीव के बटाई के खेत (अलीगंज) में बुलाया।

7. और पंकज के आने पर चारों ने मफलर से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी तथा शव अलीगंज सरौंठ रोड़, ईदगाह के पास झाड़ियों में कच्चे तालाब के किनारे फेंक दिया।

8. गिरफ्तार अभियुक्त अनीश ने अपनी निशानदेही पर मृतक पंकज का शव उपरोक्त स्थान से बरामद कराया।

9. सामान्य आशय से अपराध किये जाने व शव को छिपाने के साक्ष्य पाये जाने पर अभियोग में धारा 238/5(3) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपता –

1. अनीश पुत्र राजीव निवासी भरापुरा थाना अलीगंज जनपद एटा (उम्र करीब 18 वर्ष)

2. राजकुमारी पत्नी सत्यप्रकाश निवासी महाराजपुर थाना जसरथपुर एटा (उम्र करीब 32 वर्ष)

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल -

1. प्र0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह

2. मु0आ0 पवन कुमार

3. आरक्षी पाल सिंह

4. म0आ0 दीपा रानी

5. आ0 संजीव

6. उ0नि0 श्री एस0के0 निगम, प्रभारी स्वाट टीम एटा

7. उ0नि0 श्री नितिन चौधरी, प्रभारी सर्विलांस एटा

8. मु0आ0 अमित तोमर, सर्विलांस सेल एटा

9. आ0 जितेन्द्र राघव, सर्विलांस सेल एटा

10. मु0आ0 रियाज खान, स्वाट टीम एटा

11. मु0आ0 समय , स्वाट टीम एटा

12. मु0अ0 विष्णु शर्मा, स्वाट टीम एटा

13. आ0 शिशपाल, स्वाट टीम एटा

14. आ0 उमंग चौधरी, स्वाट टीम एटा

जनपद हाथरस के थाना सि0राऊ क्षेत्र के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वाँछित मुख्य आयोजक एक लाख का ईनामिया मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर व दो अन्य अभियुक्त रामप्रकाश शाक्य व संजू यादव गिरफ्तार ।

जनपद हाथरस के थाना सि-राऊ के ग्राम फुलरई मुगलगढी में दिनांक002.07.2024 को एक अत्यन्त दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरान्त भगदड़ मचने से लोगो की मृत्यु हो गयी । घटना के सन्दर्भ में 121 दिनाकं 02.07.2024 को थाना सिकन्द्राराऊ पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-105/110/126(2)/223/238 में अभियोग पजीकृत किया गया। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानान्तरित करते हुये पूर्व में अभियुक्तो की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 06

इस घटना के मुख्य अभियुक्त देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 04.07. को 2024 1,00, 000(एक लाख रुपयेका इनाम घोषित किया गया । उक्त अभियुक्त देवप्रकाश (05 मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक.07.को देर शाम 2024 से गिरफ्तार किया गया तथा थाना सिकन्द्राराऊ (दिल्ली) नजफगढ़पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.07.को अभियुक्त रामप्रकाश शाक्य को कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त 2024 संजू यादव को गोपालपुर कचौरी, सिकन्द्राराऊ गिरफ्तार किया गया है।

प्रारम्भिक पूछताछ पर अभियुक्त देवप्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षो से जुडा है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिये फण्ड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक-02.07.2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्ही के द्वारा ही ली गयी थी । इस प्रकार अभियुक्त देवप्रकाश मधुकर की इस घटना में दो भूमिकाऐ मुख्य आयोजक एवं- फण्ड रेजर के रुप में प्रकाश में आयी है।

उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादारोसमिति के सदस्यों की / सत्संग के पाण्डाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था,

पार्किंग व अन्य सुविधाओ की सम्पूर्ण जिम्मेदारी थी । अभियुक्त देवप्रकाश एवं अन्य सेवादारों के द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अन्दर किसी भी तरह के हस्तक्षेप से रोका गया। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमाण्डोज के रुप में सारी व्यवस्थाऐ देख रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति को वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करन से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नही किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुये यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को सम्भालने का कोई प्रयास नही किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गये। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादारों के द्वारा अव्यवस्था की गयी (सेवादारो को गिरफ्तार किया जा चुका है 06 जिनमे), जिसके चलते यह घटना घटी और कई जाने चली गयी। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारो द्वारा प्रवचनकर्ता की गाडी को भीड़ के बीच से निकाला गया जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरणरज के लिये भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती थी। इसके अतिरिक्त इस तथ्य की भी गहराई से जांच की जा रही है कि यह घटना आयोजकसेवादारो द्वारा किसी के कहने या दुष्प्रेरित / आयोजकों को /करने से तो नही करायी गयी है एवं आवश्यकतानुसार गिरफ्तार सेवादार पुलिस कस्टडी रिमाण्ड मे लेकर पूछताछ की जायेगी।

अभियुक्त देवप्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुडे होने के कारण संगठन का फंण्ड रेज़र बन गया था और संगठन को संचालित करने तथा सत्संग इत्यादि कराने के लिये पैसे इकट्ठा कर रहा था। पूछताछ से यह भी पता चला कि इनसे विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा सम्पर्क किया गया था। फण्ड इकट्ठा करने के सम्बन्ध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं इस तरह के कार्यक्रम तथा अन्य संसाधनो को किसी राजनीतिक पार्टी से पोषित तो नहीं है। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ्य के लिये इनसे जुडे है। अभियुक्त देवप्रकाश मधुकर से जुडे हुये समस्त बैंक खाते, चलअचल सम्पत्ति-, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है जिसमें आवश्यकतानुसार अन्य एजेन्सियों से भी सहयोग लिया जायेगा।

अभियुक्त का नाम व पता-

1.देवप्रकाश मधुकर पुत्र राम सिंह निवासी सलेमपुर गादरी थाना अवागढ़ जनपद एटा हाल निवासी मौहल्ला दमदपुरा नई कालोनी थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस। उम्र करीब 42 वर्ष।

2. रामप्रकाश शाक्य पुत्र स्वपरमाईलाल शाक्य निवासी खांकेताल थाना बेवर जनपद 0 वर्ष 61 मैनपुरी। उम्र

3. संजू यादव पुत्र साधू यादव निवासी गोपालपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस। उम्र वर्ष 33

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम

हाथऱस पुलिस टीम

चोरी की घटनाओं का कासंगज पुलिस द्वारा किया सफल अनावरण, थाना सोरों पुलिस द्वारा अभियुक्त को किया गिरफ्तार 01, कब्जे से चोरी किया गया माल आभूषण कीमत) बरामद। (लाख रुपये 06 करीब

घटनाक्रम01 --- वादिया श्रीमती गीता देवी पत्नी स्वमुकेश सिंह निवासी मौहल्ला बदरिया 0 थाना सोरों जनपद कासगंज ने थाना सोरों पर लिखित तहरीर दे अवगत कराया था कि मैं 17 दिनांक.04. को अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा पर गई थी । दिनांक 2024 24.04. को मौहल्ले को लोगों ने 2024मुझे फोन कर बताया कि तुम्हारे घर के दरवाजे का

कुण्डा टूटा पडा है। जब मैनें घर आकर देखा तो घर पर रखे आभूषण आदि गायब थे। इस सम्बन्ध में थाना सोरों पर मु192 0सं0अ0/380 धारा 24/भादवि बनाम अज्ञात 457 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई थी।

घटनाक्रम 02--- वादी श्री अनमोल वशिष्ठ पुत्र विनोद वशिष्ठ निवासी ग्राम होडलपुर थाना सोरों जनपद कासगंज ने थाना सोरों पर लिखित तहरीर दे अवगत कराया था कि मैं दिनांक 24/25.05.की रात्रि को बिजली की समस्या के कारण पिता के घर सोने चला गया 2024 तो रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा म ,थाेरे घर में घुसकर नकदी व आभूषण चोरी कर लिये गये है। इस सम्बन्ध में थाना सोरों पर मु229 0सं0अ0/भादवि बनाम अज्ञात 380 धारा 24 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई थी।

घटनाक्रम 03--- वादी श्री रुप किशोर पुत्र कुंवरपाल निवासी मौहल्ला कटरा कस्बा व थाना सोरों जनपद कासगंज द्वारा थाना सोरों पर लिखित तहरीर दे अवगत कराया कि दिनांक 02.07.को अज्ञात चोरों द्वारा मेरे बन्द पडे मकान का कुण्डा तोडकर बर्तन व 2024 301 0सं0अ0आभूषण चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में थाना सोरों पर मु/ धारा 24 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

कार्यवाहीपुलिस अधीक्षक कासगंज श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक द्वारा थाना सोरों क्षेत्र में --- बन्द मकानों में हो रही उक्त चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री राजेश भारती के पर्यवेक्षण में चोरी की घटनाओंका अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी नगर श्री अजीत चौहान के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस की टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा निरन्तर किये गये प्रयासों के क्रम में चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित अभियुक्त शनि जाटव पुत्र राममूर्ति निवासी मौहल्ला बदरिया कस्बा व थाना सोरों जनपद कासगंज को सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित होने पर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा अभियुक्त के कब्जे से उक्त तीनों अभियोगों में चोरी किया गया माल आभूषण

बरामद हुए है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया (लाख रुपये 06 कीमत करीब) है कि वह बन्द पडे मकानों में अकेले ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था तथा उपरोक्त तीनों घटनाओं में बन्द पडे मकानों में चोरी करना एवं चोरी किये गये माल को बरामद कराया गया है। अभियुक्त पूर्व में भी चोरी के अपराधों में जेल गया हैजिसका पूर्व आपराधिक इतिहास , है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मु192 0सं0अ0/229 0सं0अ0व मु 24/ में धारा 24 301 0सं0अ0भादवि एवं मु 411/317 में धारा 24(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- शनि जाटव पुत्र राममूर्ति निवासी मौहल्ला बदरिया कस्बा व थाना सोरों जनपद कासगंज

बरामदगी –

- मु0अ0सं0 192/24 में--- 01 सफेद धातु की कमर कोदनी, 01 जोडी पीली धातु की हथफूल, 01 सफेद धातु की बच्चे की कोदनी, 01 जोडी सफेद धातु का बच्चे का खडुआ, 01 सफेद धातु का छल्ला, 07 सफेद धातु के सिक्के, 03 सफेद धातु के छोटे सिक्के।
- मु0अ0सं0 229/24 में--- 02 पीली धातु की अंगूठी, 01 जोडी सफेद धातु की पाजेब, 02 सफेद धातु के सिक्के, 12 सफेद धातु के पुराने सिक्के, 01 सफेद धातु का बच्चे का कंगन, 01 सफेद धातु का ब्रेसलेट।
- मु0अ0सं0 301/24--- 01 सफेद धातु की छोटी कटोरी, 01 सफेद धातु का दीया, 01 सफेद धातु की चम्मच, 07 सफेद धातु के सिक्के।

उपरोक्त समस्त बरामदगी आभूषण (लाख रुपये 06 कीमत करीब)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शनि-

1. मु0अ0सं0 742/2018 धारा 380/411 भादवि थाना सोरों जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 894/2018 धारा 224 भादवि थाना व जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 485/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सोरों जिला कासगंज
4. मु0अ0सं0 03/2018 धारा 379 भादवि थाना जी.आर.पी बदायूँ जनपद बदायूँ
5. मु0अ0सं0 907/2019 धारा 379/411 भादवि थाना व जनपद कासगंज
6. मु0अ0सं0 192/2024 धारा 380/457/411 भादवि थाना सोरों जनपद कासगंज
7. मु0अ0सं0 229/24 धारा 380/411 भादवि थाना सोरों जनपद कासगंज
8. मु0अ0सं0 301/2024 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सोरों जनपद कासगंज

पुलिस टीम-

- श्री भोजराज अवस्थी, प्रभारी निरीक्षक थाना सोरों जनपद कासंगज मय टीम।

थाना क्वार्सी

➡ थाना क्वार्सी को मिली बड़ी सफलता, अपरहरण की घटना का पर्दाफाश

➡ मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, कब्जे से 22 सिम कार्ड, 11 डेबिट/क्रेडिट कार्ड व चोरी की कार के साथ किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.06.24 को एक बालिग लड़की उम्र करीब 27 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहृता/पीड़िता की बरामदगी हेतु 02 टीमों का गठन किया गया था।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः-
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर नियंत्रण व वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर श्री मृगांक शेखर पाठक के निर्देशन, स0पु0अ0/ क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अमृत जैन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना क्वार्सी पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीमों द्वारा अपहरण कर नशीला पदार्थ खिलाकर बन्धक बनाकर रखी गयी अपहृता/पीड़िता गुन्जन (नाम बदला हुआ) से सामूहिक बलात्कार कर अपहृता के परिजनों से फिरौती की मॉग करने जैसे सनसनीखेज प्रकरण का पर्दाफाश कर प्रकाश में आये *09 अभियुक्तों को दिनांक 04.07.को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जिसमें 24 आज मुख्य आरोपी अभियुक्त*दीपक कुमार पुत्र स्व पीताम्बर सिंह निवासी 0S/119 B-32 मधुबन बिहार कॉलौनी बरौला बाईपास थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़ को विनय एचपी गैस एजन्सी से आगे बगीची के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

दीपक कुमार पुत्र स्व पीताम्बर सिंह निवासी 0S/119 B-32 मधुबन बिहार कॉलौनी बरौला बाईपास थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़

बरामदगी

1. घटना मे प्रयुक्त एक अदद चोरी की हुण्डई आई 20 कार नं0 HR 30S 6627
2. दो अदद एण्ड्राइड मोबाईल फोन चोरी के
3. एक अदद अपहर्ता / पीडिता का क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन
4. एक नोकिया का कीपैड मोबाइल फोन
5. 22 सिम कार्ड व पैन कार्ड, आधर कार्ड, ड्राईबर लाईसैस
6. 11 क्रैडिट व डेबिट कार्ड

पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कान्त शर्मा -थाना क्वार्सी
2. निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार
3. उ0नि0 श्री आलोक कुमार
4. उ0नि0 श्री निशान्त चौधरी
5. उ0नि0 श्री अभिनव तोमर
6. का0 2680 सुनील कुमार
7. का0 प्रिंस मोतला- स्वॉट टीम

थाना पिलुआ

पुलिस व जनपदीय स्वॉट तथा सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, गुलाबपुर हाइवे पर हुई डीसीएम लूट की घटना का 24 घंटे के अन्दर सफल अनावरण, दो अन्तर्जनपदीय शातिर बदमाश पीतल व लोहे के स्क्रेप भरी लूटी गई डीसीएम कुल कीमत करीब 28 लाख रुपये सहित गिरफ्तार।*

घटना का विवरण -

दिनांक 09.07.2024 को वादी मो0 हाजी मुकीम कुरेशी पुत्र मो0 सब्बीर कुरैशी निवासी दुर्गेश नगर रहीम नगर थाना रसूलपुर फिरोजाबाद द्वारा थाना पिलुआ पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 08.07.2024 को समय करीब 12.30 बजे वह फिरोजाबाद से डीसीएम संख्या यूपी 12 बीटी 4923 से अपने साथी सादाब पुत्र असरफ निवासी पुराना रसूलपुर थाना रसूलपुर फिरोजाबाद के साथ करीब 15 टन पीतल व लोहे का स्क्रेप भरकर चालक रिषि उर्फ सुशील पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम खेडाहेमा थाना एका फिरोजाबाद के साथ जिला मुजफ्फरनगर बेचने हेतु निकले थे। रास्ते में रिषि ने कमसान नहर पुल पर पिन्टू पुत्र महावीर निवासी ग्राम नगला मोती थाना एका फिरोजाबाद को भी क्लीनर बताकर साथ में लिया। जब वे लोग समय करीब 21.45 बजे रात्रि गुलाबपुर नेशनल हाइवे पर पहुँचे तो मोटर साइकिल सं- यूपी 86 एजे 5844 सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने ओवरटेक करके गाड़ी को रुकवा लिया तथा ड्राइवर रिषि व तीनों अज्ञात व्यक्ति मारपीट कर उनसे गाड़ी, वादी और उसके साथी सादाब का मोबाइल व करीब 9000 रुपये छीन कर भाग गए हैं। इस सूचना पर थाना

पिलुआ पर मुअसं- 309(6), 61(2) बीएनएस बनाम रिषी उर्फ सुशील आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया।

अनावरण तथा गिरफ्तारी -

दिनांक 10.07.2024 को थाना पिलुआ पुलिस, जनपदीय स्वा◌ॅट तथा सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में वा◌ॅछित चल रहे दो अभियुक्तों अभिषेक कुमार व पिंटू यादव को समय प्रातः करीब 04.35 बजे नगला दीप के पास के जंगल से गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई डीसीएम मय स्क्रेप तथा दो मोबाइल व नकदी बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है साथ ही फरार अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्य बिन्दु -

1. दिनांक 08.07.2024 को अभिषेक को कौशल ने फोन करके बुलवाया और अपने साथी रिषी उर्फ सुशील की सहायता से स्क्रैप से भरी गाड़ी को लूटने की योजना बनाई। जिसमें अनुज, संकेत भी शामिल थे।
2. दिनांक 08.07.2024 की रात्रि में अभिषेक, अनुज व कौशल अपनी मोटर साइकिल संख्या यूपी 86 एजे 5844 से डण्डा लेकर गुलाबपुर नेशनल हाईवे पर पहुंचे और गाड़ी का इन्तजार करने लगे।
3. जैसे ही गाड़ी चैथा मील पर आयी तो रिषी ने फोन करके अनुज को बताया जिसके बाद उन्होंने गाड़ी का पीछा किया।
4. गुलाबपुर के पास रिषी उर्फ सुशील ने योजना के अनुसार गाड़ी को धीमा कर दिया जिससे उन्होंने गाडी को ओवरटेक किया और रिषी ने गाडी रोककर व्यापारी के साथ डण्डों से मारपीट कर गाड़ी से उतारकर मोबाइल व पैसे लूट लिये तथा स्क्रैप से भरी गाडी को छीनकर भाग गये।
5. क्लीनर पिन्टू यादव गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने अन्य साथियों को गाड़ी की लोकेशन की जानकारी दे रहा था।

6. संकेत अपनी पल्सर बाइक से रेकी करते हुए गाड़ी का पीछा करते हुए चल रहा था अपने अन्य साथियों को गाड़ी की लोकेशन की जानकारी दे रहा था।
7. सभी 06 अभियुक्तों द्वारा लूटे गये रुपयों को आपस में बांट लिया गया था।
8. सुशील उर्फ रिषि शातिर किस्म का व्यक्ति है उसने अपनी पहचान छुपाकर मनोज पुत्र रतन सिंह निवासी त्रिलोकपुरा जैखूआ थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के नाम से डीएल व आधार कार्ड रखकर करीब 08 दिन पूर्व उक्त गाड़ी पर काम करना शुरू किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपता -
1. अभिषेक कुमार पुत्र रमेश चंद्र निवासी जिमिसपुर थाना सिकन्दराराऊ, हाथरस (उम्र करीब 22 वर्ष)
2. पिंटू यादव पुत्र महावीर सिंह निवासी नगला मोती थाना एका, फिरोजाबाद (उम्र करीब 22 वर्ष)

फरार अभियुक्तों का नामपता -
1. रिषि उर्फ सुशील पुत्र सत्यवीर निवासी खेरीएमा थाना एका जनपद फिरोजाबाद
2. अनुज पुत्र अजीत सिंह निवासी ग्राम रतिभानपुर थाना सि0राऊ जनपद हाथरस
3. संकेत निवासी खेरीएमा जनपद फिरोजाबाद
4. कौशल पुत्र कैलाश निवासी ग्राम रतिभानपुर थाना सि0राऊ जनपद हाथरस

बरामदगी -
1. एक डीसीएम संख्या यूपी 12 वीटी 4923 (कीमत करीब 15,20,000 रूपये)
2. पीतल व लोहे का स्क्रैप वजन 15 टन (कीमत करीब 12,99,000 रूपये)
3. 2200 रूपये नगद
4. 02 एंड्रॉयड मोबाईल

अनावरण करने वाली टीम -
1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव

3. उ0नि0 श्री जुगेन्द्र उपाध्याय
4. उ0नि0 श्री अक्षय सिवाच
5. है0का0 होशियार सिंह
6. का0 पूरन सिंह
7. है0का0 अमित तौमर सर्विलांश टीम एटा
8. का0 जितेन्द्र राघव सर्विलांश टीम एटा
9. का0 शीषपाल सिंह स्वाट टीम एटा

थाना कोतवाली नगर

थाना पुलिस को मिली सफलता, राहगीरों को ठगने की फिराक में बैठे 03 शातिर अन्तर्जनपदीय टप्पेबाज 03 अवैध तमंचा, 08 जिन्दा कारतूस तथा 500-500 रुपये के आकार के काजग व डायरी सहित गिरफ्तार।*

जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा सुदृढ कानून व्यवस्था बनाए रखने के परिदृश्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री धनन्जय सिंह कुशवाहा के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा राहगीरों को ठगने की फिराक

में बैठे 03 शातिर अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को 03 अवैध तमंचा, 08 जिन्दा कारतूस व 500-500 रुपये के नोटों के आकार की एक लाख रुपये की कागज की गड्डी सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुध्द थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण बिन्दु -

1. अभियुक्तों का एक सक्रिय गिरोह है जिसका सरगना गोपाल है।
2. अभियुक्त टे्न के माध्यम से विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु आदि तथा चेन्नई, लखनऊ, फिरोजाबाद, एटा आदि शहरों में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं।
3. अभियुक्त 500 रुपये के आकार की कागजों की गड्डी रखते हैं जिसे लोगों को केवल ऊपर एक 500 रुपये का नोट दिखाकर की उनके पास 500-500 रुपये के एक लाख की गड्डी है। लोगों को पैसों का लालच देकर पैसो को खाते में डलवाने के नाम पर ठगी करते है।
4. बरामद अवैध असलहा कारतूस के सम्बन्ध में अभियुक्तों ने बताया कि कभी कभी सुनसान रास्तों पर राहगीरों को तमंचा दिखाकर डरा धमकाकर उनसे रुपए ऐंठ लेते हैं।
5. अभियुक्तों द्वारा अपना नाम-पता बदल-बदल कर दूसरे राज्यों तथा शहरों में घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिससे वह पुलिस की पहुॅच से दूर रहें हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपता -

1. गोपाल पुत्र दयाराम निवासी मोहल्ला कर्बला थाना दक्षिण फिरोजाबाद
2. आकाश राठौर पुत्र विनोद राठौर निवासी मोहल्ला कर्बला थाना दक्षिण फिरोजाबाद
3. आकाश पुत्र रमाकांत निवासी ग्राम लुटिया आना सराय जनपद कौशांबी

पंजीकृत अभियोग -

1. मुअसं- 287/2024 धारा 318(4) बीएनएस बनाम गोपाल आदि 3 नफर
2. मुअसं- 288/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम गोपाल
3. मुअसं- 289/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आकाश राठौर
4. मुअसं- 290/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आकाश

बरामदगी -

1. 02 अवैध तंमचा (12 बोर) व 01 अवैध तमंचा (315 बोर)
2. 06 जिन्दा कारतूस (12 बोर) व 02 जिन्दा कारतूस (315 बोर)
3. 500-500 रुपये के नोट के आकार की एक लाख रुपये की कागज की गड्डी व डायरी

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अरुण पंवार
2. उ0नि0 विपिन कुमार
3. उ0नि0 संजय सिंह
4. का0 1224 पिन्टू कुमार
5. का0 टिंन्कू कुमार
6. का0 प्रदीप कुमार
7. का0 जयवीर सिंह
8. का0 अंकुर मलिक
9. का0 सत्येंद्र कुमार
10. का0 कृष्ण गोपाल

थाना गंजडुण्डवारा

कासगंज पुलिस की बडी कार्यवाही*, थाना गंजडुण्डवारा, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अन्तर्जनपदीय मवेशी चोर गैंग का किया खुलासा, गण किए 0अभि 09 गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की भैंस 01, पिकअप गाडी 01 हजार रुपये नकद व 27 लाख 04 बरामद।*

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक, पुलिस अधीक्षक कासगंज के निर्देशन व श्री राजेश भारती, अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज के पर्यवेक्षण में सर्किल पटियाली क्षेत्र एवं आसपास के थाना क्षेत्रो में विगत समय से बढ रही मवेशी चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए श्री विजय कुमार राना, क्षेत्राधिकारी पटियाली के नेतृत्व में थाना गंजडुण्डवारा, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम का गठन कर लगातार हो रहे मवेशी चोरी के अपराधों पर नियन्त्रण किए जाने तथा चोरी किये गये पशुओं से सम्बन्धित दर्ज अभियोगो का अनावरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। टीम द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासो के क्रम में दिनांक 09/10.07.की रात्रि में कादरगंज रोड थाना क्षेत्र 2024 गण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है0मवेशी चोर अभि 09 गंजडुण्डवारा से, जिनके कब्जे से चोरी की एक भैंस मय पिकअप गाडी रजि 0नं 0UP82T 04 एवं 8035

गण थाना गंजडुण्डवारा क्षेत्र से चोरी किये 0हजार रुपये नकद बरामद हुए है। अभि 27 लाख 205 0सं0अ0गये मवेशी मु/303 धारा 24(2)/317(2) बीएनएस व मु192 0सं0अ0/ 24 379 धारा/भादवि 411, थाना पटियाली के मु167 0सं0अ0/379 धारा 24/भादवि 411, सिकन्दरपुर वैश्य के मु115 0सं0अ0/379 धारा 24/भादवि एवं थाना अमांपुर के 411 80 0सं0अ0मु/379 धारा 24/गण के 0भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त है। अभि 411 विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
अभिगण पूर्व से मवेशी चोरी के0 आदतन शातिर अपराधी है, जो संगठित रुप से मवेशी चोरी की घटनाओं को काफी समय से अंजाम दे रहे थे । अभिगण का एक संगठित 0 मैनपुरी - अन्तर्जनपदीय गिरोह है जिन्होने आसपास के जनपद, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, हाथरस में मवेशी चोरी के अपराध कारित किये है।

गिरफ्तार अभिग0ण का विवरण-

1. विष्णु पुत्र मिजाजीलाल निवासी ग्राम महादेवा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी
2. मुकीम उर्फ चूहा पुत्र बक्सी निवासी जाटऊ थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद
3. महबूब पुत्र गुलाब निवासी नगला गंगी थाना फरिहा जिला फिरोजाबाद
4. सदाम हुसैन पुत्र भूमि निवासी भोबतपुर थाना निधौली जनपद एटा
5. भूमि पुत्र आलम खान निवासी भोबतपुर थाना निधौली जनपद एटा
6. सैफ पुत्र हसीन कुरैशी निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना कुरावली जनपद मैनपुरी
7. तैसीफ पुत्र अच्छे मिंया निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना कुरावली जनपद मैनपुरी
8. अशफाक पुत्र अफसर निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना कुरावली जनपद मैनपुरी
9. सलमान पुत्र कासीम निवसी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना कुरावली जनपद मैनपुरी

बरामदगी-

- चोरी की 01 रास भैंस
- 04 लाख 27 हजार रुपये नकद
- 01 पिकअप गाडी रजि0 नं0 UP82T8035

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुकीम उर्फ चूहा-

1. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
6. मु0अ0सं0 207/19 धारा 379/411 भादवि थाना हाथरास जंक्शन जनपद हाथरस
7. मु0अ0सं0 147/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना हाथरास जंक्शन जनपद हाथरस
8. मु0अ0सं0 281/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना अवागढ़ जनपद एटा
9. मु0अ0सं0 180/17 धारा 379/411 भादवि थाना हाथरास जंक्शन जनपद हाथरस
10. मु0अ0सं0 181/17 धारा 379 भादवि थाना हाथरास जंक्शन जनपद हाथरस
11. मु0अ0सं0 111/17 धारा 379 भादवि थाना हाथरास जंक्शन जनपद हाथरस
12. मु0अ0सं0 133/19 धारा 379/411 भादवि थाना जलेसर जनपद एटा
13. मु0अ0सं0 28/17 धारा 379 भादवि थाना जसेसर जनपद एटा
14. मु0अ0सं0 476/22 धारा 379 भादवि थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस
15. मु0अ0सं0 348/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जलेसर जनपद एटा
16. मु0अ0सं0 278/20 धारा 379 भादवि थाना अवागढ़ जनपद एटा
17. मु0अ0सं0 279/20 धारा 398/401 भादवि थाना अवागढ़ जनपद एटा

18. मु0अ0सं0 321/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अवागढ़ जनपद एटा

19. मु0अ0सं0 277/24 धारा 379/411 भादवि थाना अवागढ़ जनपद एटा

आपारधिक इतिहास अभियुक्त विष्णु-

1. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त महबूब-

1. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
6. मु0अ0सं0 240/10 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना अवागढ़ जनपद एटा
7. मु0अ0सं0 244/10 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अवागढ़ जनपद एटा
8. मु0अ0सं0 129/17 धारा 323/504/506/427 भादवि थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सद्दाम हुसैन-

1. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भूमि-

1. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
6. मु0अ0सं0 97/16 धारा 147/148/149/174-A/307 भादवि थाना उझानी जनपद बदायूं
7. मु0अ0सं0 99/16 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना उझानी जनपद बदायूं
8. मु0अ0सं0 414/17 धारा 382/411 भादवि थाना उझानी जनपद बदायूं
9. मु0अ0सं0 422/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना उझानी जनपद बदायूं
10. मु0अ0सं0 430/17 धारा 382/395/397/412 भादवि थाना उझानी जनपद बदायूं
11. मु0अ0सं0 1124/15 धारा 174-A/396/412 भादवि थाना उझानी जनपद बदायूं
12. मु0अ0सं0 1479/15 धारा 174-A/396/412 भादवि थाना उझानी जनपद बदायूं

13. मु0अ0सं0 1522/15 धारा 174-A/396/412 भादवि थाना उझानी जनपद बदायूं

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सैफ-

1. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तौसीफ-

1. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अशफाक-

1. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान-

1. मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379/411 भादवि थाना अमांपुर जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 167/24 धारा 379/411 भादवि थाना पटियाली जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 115/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज
5. मु0अ0सं0 192/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज
6. मु0अ0सं0 230/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना पटियाली जनपद कासगंज
7. मु0अ0सं0 232/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना पटियाली जनपद कासगंज
8. मु0अ0सं0 100/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पटियाली जनपद कासगंज

पुलिस टीम-

- श्री विनोद कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज मय टीम।
- श्री प्रवेश राना, प्रभारी सर्विलांस जनपद कासगंज मय टीम।
- श्री विनय शर्मा, प्रभारी एसओजी जनपद कासगंज मय टीम।

थाना कोतवाली देहात

पुलिस तथा जनपदीय इंटेलिजेंस तथा सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही में करीब एक माह पूर्व नगला केवल में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण, तीन शातिर अभियुक्त करीब 8 लाख रुपए की ज्वैलरी व 9720 रुपये नकदी सहित गिरफ्तार।*

घटना का विवरण -
दिनांक 10.06.2024 को वादिया श्रीमती स्नोव्हाइट पत्नी नेत्रपाल निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात एटा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर उसके घर से नगदी एवं आभूषण चोरी हो जाने के संबंध में सूचना दी गई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात एटा पर *मुअसं- 211/2024 धारा 380, 457 भादवि* बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -
दिनांक 04.07.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस तथा जनपदीय इंटेलिजेंस तथा सर्विलांस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए तीन शातिर अभियुक्तों को चोरी की गई ज्वैलरी तथा नकदी सहित शहीद पार्क चैराहे के पास से समय करीब 21.50 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपता -
1. अनुपम उर्फ पउवा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात, एटा (उम्र करीब 20 वर्ष)

2. अंकित पुत्र प्रवीन कुमार निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात, एटा (उम्र करीब 21 वर्ष)
3. हर्ष कुमार उर्फ जानू पुत्र प्रवीन कुमार निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात, एटा (उम्र करीब 19 वर्ष)

प्रकाश में आए अभियुक्तों का नामपता -
1. अमन उर्फ लीची पुत्र मुरारी लाल निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात एटा
2. अमित सागर पुत्र कुंवर पाल निवासी नगला केवल थाना कोतवाली देहात एटा
3. राहुल राणा पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात
4. प्रशांत उर्फ भोला निवासी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास -
अभियुक्त अनुपम -
1. मुअसं- 55/24 धारा 147, 323, 352 आईपीसी
2. मुअसं- 113/2019 धारा 323, 504, 506 आईपीसी

अभियुक्त अंकित -
1. मुअसं- 139/2023 धारा 323, 354, 327 आईपीसी
2. मुअसं- 477/2023 धारा 323, 336, 504, 506 आईपीसी
3. मुअसं- 520/2023 धारा 323, 325, 504, 506 आईपीसी
4. मुअसं- 75/2024 धारा 323, 354, 506 आईपीसी

अभियुक्त हर्ष उर्फ जानू
1. मुअसं- 139/2023 धारा 323, 354, 327 आईपीसी

बरामदगी का विवरण -
1. एक गले का हार बड़ा सोने का मय टोक्स
2. एक हार गले का छोटा सोने का

3. एक चैन सोने की
4. एक मंगल सूत्र सोने का
5. एक माथे का टीका सोने का,
6. चार अंगूठी (लेडीज) सोने की
7. पांच नथ सोने की
8. एक लोंग सोने की
9. दो जोड़ी पाजेब चांदी की
10. ग्यारह जोड़ी बिछिया चांदी के
11. एक जोड़ी खड़ुवा चांदी के (बच्चे के)
12. 9720 रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण -
1. प्र0नि0 श्री निर्दोष सिंह सेंगर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह (चैकी प्रभारी लिप्टन)
3. का0 1232 संदीप कुमार
4. का0 290 अमित कुमार
5. है0का0 34 उपलेश कुमार
6. है0का0 535 दीपक कुमार

सर्विलांस एवं इंटेलिजेंस विंग टीम -
1. उप निरीक्षक नितिन कुमार सर्विलांस प्रभारी
2. हेड कांस्टेबल अमित शर्मा
3. हेड कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह सर्विलांस टीम
4. हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार इंटेलिजेंस विंग टीम
5. हेड कांस्टेबल मनी कुमार
6. कांस्टेबल दीपक त्रिवेदी
7. कॉन्स्टेबल विनय कुमार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु नकद 25000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है।